राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.17(7) नविवि/नियम/2020 — जयपुर, दिनांक :– 3 MAR 2022

आदेश

विभागीय अधिसूचना क्रमांक प. 18(13)नविवि/जयपुर/2016 दिनांक 07.03.2018, अधिसूचना क्रमांक प. 18(12)नविवि/जयपुर/2018 दिनांक 31.07.2019, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 21.01.2020 व विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 08.06.2020 के द्वारा अग्निशमन शुल्क (फायरसेस) के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये हैं। समय–समय पर नगरीय निकाय प्राधिकरण/न्यास को निर्देशित किया गया है कि आवेदक द्वारा नगरीय निकाय में पूर्व में जमा की गई फायरसेस राशि को संबंधित नगरीय निकाय को हस्तानान्तरित किया जावे। CREDAI RAJASTHAN द्वारा अवगत कराया गया है कि भवन निर्माण पूर्ण होने पर अग्निशमन अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन करने पर निर्देशित किया जाता है कि वे प्राधिकरण में जमा राशि को नहीं मानते है। अतः पुनः स्पष्ट किया जाता है कि :–

विभागीय आदेश दिनांक 07.03.2018 के पश्चात फायरसेस राशि संबंधित नगरीय निकाय में जमा कराये जाने, विभागीय आदेश दिनांक 21.01.2020 के पश्चात फायरसेस राशि एक्सिस बैंक खाता संख्या–919010091350994 ब्रान्च सी–स्कीम, जयपुर आई.एफ.एस.सी. कोड UTIB0CCH274 में जमा करवाये जाने के निर्देश है। किन्तु दिनांक 07.03.2018 से पूर्व आवेदक द्वारा यदि फायरसेस राशि संबंधित प्राधिकरण/नगर विकास न्यास में जमा करवाई गई है एवं उक्त राशि संबंधित प्राधिकरण/नगर विकास न्यास द्वारा नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जा चुकी है, तो निर्माण पूर्ण होने पर अग्निशमन अधिकारी से प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन करने पर आवेदक को अलग से फायरसेस राशि जमा कराये जाने हेतु मांग करना उचित नहीं है।

साथ ही दिनांक 07.03.2018 से पूर्व आवेदक द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदित करते समय यदि आवेदक द्वारा अग्निशमन शुल्क/फायरसेस की राशि संबंधित प्राधिकरण/न्यास में जमा कराई गई है व उपरोक्त राशि संबंधित नगरीय निकाय अथवा एक्सिस बैंक खाता संख्या–919010091350994 ब्रान्च सी–स्कीम, जयपुर आई.एफ.एस.सी. कोड UTIB0CCH274 में हस्तान्तरित नहीं की गई है तो तुरन्त हस्तान्तरित की जाकर संबंधित विकासकर्ता अथवा आवेदक को प्रति प्रेषित की जावे। जिससे उसे स्थाई फायर एन.ओ.सी. लेने में कोई असुविधा ना हो, साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है यदि पूर्व में विकासकर्ता/आवेदक द्वारा तत्समय लागू प्रावधानानुसार अग्निशमन शुल्क/फायरसेस की राशि पूर्व में जमा कराई जा चुकी है तो स्थाई फायर एन.ओ.सी. जारी करते समय कोई राशि लेय नहीं है।

(कुंजी लाल मीना)
प्रमुख शासन सचिव

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडा, भिवाडी।
7. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान/एन.सी.आर., जयपुर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
11. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
12. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
13. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamSc